

विचार बिन्दु

घृणा और प्रेम दोनों अंधे होते हैं। –कहावत

न्यायपालिका में डगमगाता विश्वास

गत कुछ समय से भारत की न्यायपालिका बहुत चर्चा में है, किंतु यह चर्चा सही कारणों से नहीं अपितु गलत कारणों से है। देश में जब भी कोई विवाद नहीं सुलझता है तो लोगों को यह कहते हुए देखा जाता है कि-“अदालत में देख लूंगा। लोगों को यह विश्वास रहता है कि जब और कहीं से न्याय नहीं मिल रहा है तो न्यायालय से मिल ही जाएगा। यह भी कहा जाता है कि न्यायालय के लिए सभी समान हैं, कोई छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, शक्तिशाली हो या कमजोर।

गत दिनों में जिस प्रकार के निर्णय विभिन्न स्तर के न्यायालयों से आए हैं, उसने इस विश्वास को हिला कर रख दिया है। यह बात भी अब गलत लगती है कि कानून सबके लिए एक समान लागू होता है। जो ताकतवर, अमीर या प्रभावशाली हैं, वे येन-केन-प्रकरणे न्यायालय की सहायता से अपने पक्ष में निर्णय करवाने में सफल हो ही जाते हैं। कार्यपालिका और विधायिका तो वैसे भी सामान्यतः समर्थ और सक्षम लोगों के पक्ष में खड़ी दिखाई देती हैं। एक न्यायपालिका ही थी, जिससे न्याय की अपेक्षा सामान्य नागरिक को रहती थी, किंतु अब वह भी कम होती दिखाई दे रही है। कानून का लाभ वे ही ले पाते हैं जो पैरवी के लिए महंगे वकील कर सकते हैं। साधारण नागरिक के लिए न्यायालयों में महंगे वकीलों का खर्चा वहन करना संभव ही नहीं है।

हम इस लेख में ऐसे ही कुछ फैसलों का जिक्र करेंगे जिनसे न्यायालय की प्रतिष्ठा पर आघात लगा है। सर्वाधिक चर्चित मामला उत्तर प्रदेश के उन्नाव के तत्कालीन भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का है। सेंगर को न्यायालय द्वारा नाबालिग लड़की के बलात्कार का दोषी मानकर आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपील में इस सजा को निलंबित कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कुलदीप सिंह सेंगर को 2०19 में आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। यह सजा पॉक्सो कानून के अंतर्गत दोषी सिद्ध होने के बाद दी गई थी। कुलदीप सिंह सेंगर ने एक 17 वर्षीय नाबालिगा बालिका को नौकरी देने का लालच देकर न केवल उसका बलात्कार किया अपितु उसका विरोध करने पर अपने साथियों से उसका गैंगरेप भी करवाया। यूपी पुलिस ने एफ् आर आर में कुलदीप सिंह सेंगर का नाम लिखने से इनकार किया तो इस बालिका ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास के समक्ष आत्मदाह का प्रयास तक किया।

इसके पिता को थाने में बंद कर उसकी इतनी पिटाई की गई कि उसकी मौत हो ही गई। तब पीडिता ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा कि उसके प्रकरण को उत्तर प्रदेश के बाहर किसी दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाय और जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। सीबीआई ने जांच करने के बाद सेंगर के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की और जांच के बाद सेंगर को बलात्कार का दोषी माना। जब पीडिता सड़क मार्ग द्वारा दिल्ली जा रही थी तो उसकी दुर्घटना कर दी गई जिसमें उसकी दो मौसियों को मृत्यु हो गई और वह स्वयं भी गंभीर रूप से घायल हो गई। उसका इलाज एम्स में चला। यह तो पीडिता की हिम्मत ही थी कि वह अपने बयान पर अड़ी रही और लगातार संघर्ष करती रही। मीडिया के समर्थन और उसके संघर्ष का ही परिणाम था कि 2०19 में कुलदीप सिंह सेंगर को बलात्कार के आरोप में आजीवन कारावास की सजा हुई। इसकी अपील दिल्ली उच्च न्यायालय में की गई। पीडिता के पति को अभी भी कई प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है। आक्षर्यजनक रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय ने सेंगर की सजा इस आधार पर निलंबित कर दी कि वह 7 वर्ष से अधिक जेल में रह चुका है और वह लोक सेवक नहीं था, इसलिए उसे ‘प्रोवेटेड ऑफिस’ के लिए निर्धारित 20 वर्ष की सजा नहीं दी जा सकती। यह उल्लेखनीय है कि पॉक्सो कानून के अंतर्गत लोक सेवक अथवा किसी “पर्सन ऑफ ट्रस्ट एंड ऑथोरिटी” द्वारा अपराध किए जाने पर सजा 7 वर्ष के स्थान पर 20 वर्ष की होती है। सेंगर को दिल्ली उच्च न्यायालय ने न प्रभावशाली व्यक्ति माना और न लोक सेवक। यह कितना विचित्र है कि विधायक पर दया करते हुए उसकी सजा दिल्ली उच्च न्यायालय ने निलंबित कर दी। स्पष्ट है, न्यायालय को सेंगर जैसे बलात्कारी और हत्याएं व्यक्ति को राहत देना अधिक उचित लगा बजाय पीडिता को न्याय देने के।

दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले की सर्वत्र आलोचना हो रही है और इसे न्याय के विरुद्ध माना जा रहा है। पहले तो सीबीआई ने इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की बात नहीं कही, किंतु जैसे ही पीडिता एवं उसकी मां से राहुल गांधी मिले एवं उन आक्रोश बढ़ता गया तो फिर सीबीआई ने रातों-रात इसकी अपील उच्चतम न्यायालय में दाखिल कर दी। अब यह देखना है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को बदलता है अथवा नहीं। पीडिता ने तो यहां तक कहा है कि यदि सेंगर को जेल से बाहर रखा जाता है तो उसे सुरक्षा की दृष्टि से जेल भेज दिया जाए। लगभग सभी पूर्व न्यायाधीशों और न्यायविदों ने दिल्ली उच्च न्यायालय के इस फैसले को कानून का मखौल बताया है। उनके अनुसार पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत जिस कड़ी सजा का प्रावधान किसी “पर्सन ऑफ् आथॉरिटी एंड ट्रस्ट” के लिए किया गया था, वह सेंगर पर पूरी तरह लागू होता है, अतः उसे “एग्जेटेड ऑफिस” की सजा ही मिलनी चाहिए।

जब पीडिता, उसकी मां एवं उनकी महिला वकील उच्च न्यायालय के इस फैसले के विरुद्ध दिल्ली के इंडिया गेट पर डंड में प्रदर्शन करने हेतु बैठे, तो उन्हें वहां से पुलिस द्वारा जबरन घसीट कर हटा दिया गया। प्रधानमंत्री के नारे “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” का क्या हश्र कार्यपालिका और न्यायपालिका मिलकर कर रहे हैं, यह इस उदाहरण से स्पष्ट होता है। कहा तो यह जा रहा है कि कि प्रधानमंत्री के ‘बेटी बचाओ’ नारे का मतलब ही यह है कि बेटीयों को नेताओं से बचा कर रखा जाए।

गत कुछ निर्णयों से तो ऐसा संदेश न्यायपालिका से जा रहा है कि यदि अपराधी प्रभावशाली और ताकतवर हैं तो कानून उसे बच निकलने के कई रास्ते प्रदान करता है और ऐसा करने में न्यायपालिका भी सहायता करती हैं। इससे पहले कि यह डगमगाता विश्वास बिल्कुल समाप्त हो जाए, न्यायपालिका को स्वयं आत्मावलीकन कर सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए ताकि वह संविधान सम्मत जनाकांक्षा के अनुरूप काम कर सके।

एक ओर, जहां सेंगर जैसे बलात्कारी को जमानत देने का आदेश हुआ है वहीं दूसरी ओर सोनम वांगचुक जैसे पर्यावरण विद् और सामाजिक कार्यकर्ता को महोनों के बाद भी बिना किसी ट्रायल के और बिना किसी सजा के जमानत नहीं मिली है । इसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र उमर खालिद को 5 वर्ष से अधिक जेल में हो चुके हैं किंतु अभी तक ट्रायल भी प्रारंभ नहीं हुई। पहली बार उसको बहन की शादी में भाग लेने हेतु 15 दिन की जमानत मिली है। इसके विपरीत, राम रहीम, जो हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है उसे अब तक 14 बार पैरोल मिल चुकी है। यह केवल संयोग नहीं है कि जब-जब भी हरियाणा में कोई चुनाव होते हैं इसे पैरोल मिल जाती है। इसी प्रकार बलात्कारी आसाराम भी आकलन 6

महीने के लिए जेल से बाहर है। यह विडंबना ही है कि सत्ताधारी दल, अपने राजनीतिक लाभ के लिए राम रहीम जैसे बलात्कारी और हत्यारे का उपयोग करने से भी नहीं चूकता। जब दोष सिद्ध बलात्कारियों और हत्यारों को न्यायालय द्वारा जमानत दी जा रही है तो फिर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक एवं शोध छात्र खालिद को बिना ट्रायल के जमानत न होना, न्यायालयों के एक पक्षीय व्यवहार का प्रमाण प्रस्तुत करता है।

रिश्तत के मामले में किसी भी कर्मचारी को पकड़े जाने पर उसे गिरफ्तार किया जाता है और उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाती है, किंतु दिल्ली उच्च न्यायालय के ही न्यायाधीश वर्मा के घर से जले हुए नोटों के बंडल मिलने के बावजूद अब तक उनके विरुद्ध कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। प्रयास यही है कि जैसे-तैसे उन्हें बचाया जाए। ऐसा करके न्यायपालिका ने अपनी प्रतिष्ठा में कोई वृद्धि नहीं की है।

19 मई, 2024 को पुणे में एक 17 वर्षीय रईस जादे ने शराब के नशे में बिना लाइसेंस के तेज गति से महंगी पोशे गाड़ी चलाकर आईटी क्षेत्र में कार्मरों दो युवाओं को मार डाला था। वे मोटर साइकिल पर थे। न्यायालय ने उसे नाबालिग मानकर सुधार गृह भेज दिया और उसे सड़क सुरक्षा पर एक लेख लिखने के लिए कहा। फिर अमीर परिवार के व्यक्ति ने तेज गति से गाड़ी चलाकर दो युवाओं को मौत के घाट उतार दिया, उसके प्रति इस प्रकार की उदारता न्यायालय की मंशा पर संदेह उत्पन्न करता है।

दिनांक 23 नवंबर, 2025 को भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को अगर गवर्ई को खंडपीठ ने अरावली पर्वत श्रृंखला के संबंध में जो निर्णय दिया, उसने पूरी अरावली पर्वतमाला को ही संकट में डाल दिया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में 1०० मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली का भाग मानने से ही इनकार कर दिया । यह फैसला तब दिया गया जबकि इसी प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के ‘एनिसडस क्यूरी’ का स्पष्ट मत इसके विरुद्ध था। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से अरावली पर्वत श्रृंखला को सुरक्षा का जो कवच उपलब्ध था, वह हटा लिया गया है । इस फैसले के विरुद्ध तीव्र वन आंदोलन प्रारंभ हो गया है और संभवतया इसी को देखते हुए ही सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर से समीक्षा हेतु सुप्रेरित संज्ञान अपने स्तर पर ले लिया है। यह उल्लेखनीय है की न्यायमूर्ति गवई ने यह आदेश अपनी सेमिनारवृत्ति से केवल 3 दिन पूर्व ही दिया था। यदि 1०० मीटर से ऊंची पहाड़ियों को ही सुरक्षा दी जाएगी तो क्या पहाड़ियों के बीच वाली जो 1०0 मीटर से कम की पहाड़ियां हैं, उनको नष्ट करने की अनुमति सरकार द्वारा दे दी जाएगी? ऐसा करके न्यायालय ने रियल एस्टेट बिल्डर और खनन माफिया को हजारों करोड़ कमानी की छूट प्रदान कर दी है। स्पष्ट है, इस प्रकार का निर्णय न्याय के आधार पर तो नहीं ही दिया गया है। उच्चतम न्यायालय के इस फैसले से पूरे देश में बवाल हो गया है और सभी पर्यावरण विद् इसके विरोध में आंदोलन तेज कर रहे हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि अरावली पर्वत श्रृंखला का 9० प्रतिशत भाग राजस्थान के 11 जिलों में स्थित है एवं शेष में से कुछ गुजरात और कुछ हरियाणा में है। कहा जाता है कि हरियाणा के एक जिले में ही इस प्रकार की छूट से बिल्डरों को लगभग 4०0०0 करोड़ का लाभ होना अनुमानित है। यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि निर्णय देते समय क्या माननीय न्यायाधीशों के मन में यह विचार नहीं आया कि उनके निर्णय से पर्यावरण का कितना नुकसान हो जाएगा? लाखों-करोड़ों वर्ष में पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण होता है और अरावली जैसी पर्वत श्रृंखला राजस्थान में मरुस्थलीकरण को रोकने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। उनको नष्ट करने का परता साफ करना लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ही कहा जाएगा। न्यायपालिका का उरतरदायित्व केवल और केवल संविधान के प्रति है, किंतु शायद वह भी सरकार को नाराज नहीं करना चाहती है। इसलिए वे कई बार कार्यपालिका के पक्ष में निर्णय देते हुए दिखाई देते हैं। न्याय, न केवल होना चाहिए अपितु दिखाई भी देना चाहिए, ऐसा कई बार कहा जाता है, किंतु आजकल न्याय हो ही कम रहा है, इसलिए दिखाई देने का तो प्रश्न ही नहीं है। जब कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों आम जन के हित के विरुद्ध काम करना प्रारंभ कर दें तो लोकतंत्र में सर्वोच्च सत्ता प्राप्त आम जन, अपने संविधान सम्मत अधिकारों की रक्षा के लिए कहां जाएगा? समय आ गया है जब न्यायपालिका को अपने स्वयं के भीतर झांक कर देखना होगा कि उसकी छवि नागरिकों में किस प्रकार से गिरती जा रही है? समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठता तो फिर इस गिरती साख को बचाना बहुत कठिन हो जाएगा । न्यायपालिका में सुधार का कार्य जितने प्रभावी तरीके से न्यायपालिका स्वयं कर सकती है उतना शायद दूसरे अंग नहीं कर पाएंगे। यदि न्यायपालिका खुद अपने सुधार नहीं करेगी तो फिर वह एक प्रकार से कार्यपालिका और विधायिका को अपने क्षेत्राधिकार में दखल देने के लिए आमंत्रण देने जैसा होगा।

जब जनता का विश्वास न्यायपालिका में कम होगा तो जनता भी फिर उनके साथ खड़ी होने से कतराएंगी। ऐसी स्थिति न न्यायपालिका के लिए अच्छी होगी और न देश में लोकतंत्र के भविष्य के लिए।

गत कुछ निर्णयों से तो ऐसा संदेश न्यायपालिका से जा रहा है कि यदि अपराधी प्रभावशाली और ताकतवर है तो कानून उसे बच निकलने के कई रास्ते प्रदान करता है और ऐसा करने में न्यायपालिका भी सहायता करती हैं। इससे पहले कि यह डगमागाता विश्वास बिल्कुल समाप्त हो जाए, न्यायपालिका को स्वयं आत्मावलीकन कर सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए ताकि वह संविधान सम्मत जनाकांक्षा के अनुरूप काम कर सके।

–अतिथि सम्पादक, राजेन्द्र भागवत (पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

संपादकीय

अरावली दीर्घकालिक पारिस्थितिक संरक्षण की ओर बढ़ते कदम

राजस्थान में अरावली संरक्षण पर सख्ती और हरियाली के संकल्प पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है



राजेंद्र गहलोत

भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली आज केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं, बल्कि पर्यावरण, नीति और राजनीति के संगम पर खड़ी है। विगत दिनों अरावली को लेकर जिस तरह के आरोप, आशंकाएं और बयान सामने आए हैं, उन्होंने इस अत्यंत संवेदनशील विषय को तथ्यों से अधिक राजनीतिक विमर्श का केंद्र बना दिया है। जबकि वास्तविकता यह है कि अरावली से जुड़े सभी नीतिगत निर्णय सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट, लिखित और बाध्यकारी आदेशों के अंतर्गत लिए गए हैं और उनका मूल उद्देश्य दीर्घकालिक पारिस्थिक संरक्षण है।

लगभग दो अरब वर्ष पुरानी अरावली पर्वतमाला दिल्ली से गुजरात तक करीब 65० किलोमीटर में फैली हुई है। यह इंडो-गंगा के मैदानों में मरुस्थलीकरण से बचाने वाली प्राकृतिक ढाल है और थार रेगिस्तान के पूर्व की ओर बढ़ते प्रभाव को रोकती है। जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, भूजल पुनर्भरण और चंबल, साबरमती

व लूनी जैसी नदियों के स्रोत के रूप में इसकी भूमिका निर्विवाद है। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने अरावली को केवल खनन या विकास का विषय न मानकर राष्ट्रीय पारिस्थितिक संपदा के रूप में देखा है।

खनन की विरासत और नियंत्रण की आवश्यकता
अरावली क्षेत्र खनिज संसाधनों से समृद्ध रहा है और रशकों तक यहां खनन गतिविधियां चलीं। लेकिन बीते चार दशकों में अत्यधिक और अवैध खनन ने वायु प्रदूषण बढ़ाया, भूजल स्तर गिराया और पारिस्थितिक संतुलन को गंभीर चोट पहुंचाई। इसी प्रष्ठभूमि में 199० के दशक से पर्यावरण मंत्रालय ने खनन को सीमित करने के प्रयास शुरू किए। 2०09 में हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण प्रतिबंध लगाया और मई 2०24 में नए खनन पट्टों व नवीनीकरण पर रोक लगाई गई। यह स्पष्ट करता है कि न्यायिक और नीतिगत रुख समय के साथ अधिक सख्त और संरक्षण का होता गया है।

अरावली विवाद की जड़ लंबे समय तक असंगत परिभाषाएं रहीं।अलग-अलग राज्यों और संस्थानों द्वारा अलग मानक अपनाए जाने से न केवल भ्रम फैला, बल्कि अवैध खनन को भी बढ़ावा मिला। इस स्थिति को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार की पहल पर पर्यावरण मंत्रालय, भारतीय वन सर्वेक्षण, राज्य वन विभागों, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और विशेषज्ञों को शामिल कर संयुक्त समिति गठित की गई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस समिति की रिपोर्ट पर विचार कर 20 नवंबर 2०25 को अंतिम निर्णय दिया गया। इसका उद्देश्य अस्पष्टताओं का अंत और एक

वैज्ञानिक, एकरूप ढांचे की स्थापना था।

कुछ राजनीतिक बयानों में यह आरोप लगाया गया कि केंद्र सरकार ने अरावली को 1०0 मीटर में समेट दिया। यह आरोप न केवल तथ्यात्मक रूप से गलत है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया को राजनीतिक रंग देने का प्रयास भी है। वास्तविकता यह है कि 1०० मीटर की सीमा कोई नई खोज नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2००5 को 1०0 मीटर से अधिक ऊंचाई को हिल मानने का मानक तय किया था।

यह तथ्य भी रेखांकित होना चाहिए कि 1०० मीटर फार्मुले को नीतिगत रूप से पहली बार 2००3 में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने ही दिया। अब यह तय किया गया है कि 1०० मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियां और उनसे 5०0 मीटर के दायरे में आने वाले सभी लैंड फॉर्मस एक संरक्षित श्रृंखला माने जाएंगे। इस 5०० मीटर जोन में आने वाले सभी भूआकृतिक ढांचे (उनकी ऊंचाई या ढलान चाहे जो भी हो) खनन से पूरी तरह बाहर रहेंगे। इसलिए यह कहना कि 1०० मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में खनन खोल दिया गया है, सरासर भ्रामक है।

यह भी तथ्यहीन दावा है कि 9० प्रतिशत अरावली समाप्त हो गई। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अरावली का 98 प्रतिशत भाग सुरक्षित है। लगभग 25 प्रतिशत क्षेत्र अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और आरक्षित वन में आता है, जहां खनन पूरी तरह प्रतिबंधित है।

कुल अरावली क्षेत्र में से केवल 2 से 5.6 प्रतिशत क्षेत्र ही सीमित और नियंत्रित खनन के दायरे में आता है। राज्य सरकार के आकलन के अनुसार

अरावली के लिए न्याय सिर्फ डेटा और आँकड़े ही बताएंगे, जिसका आकलन सर्वे और मैपिंग के बाद ही किया जा सकता है



सूर्य प्रताप सिंह राजावत

हाल ही में अरावली पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश चुनिंदा व्याख्या का शिकार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2० नवंबर 2०25 के आदेश के तहत स्यात निर्देश जारी किए हैं। पहला निर्देश अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं की एक समान परिभाषा से संबंधित है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के 9 मई 2०24 के आदेश के बाद गठित एक समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अरावली पहाड़ियां: ऐसी कोई भी जमीन जिसकी ऊंचाई स्थानीय भू-भाग (जमीन) से 1०० मीटर या उससे अधिक हो, अरावली रेंज (पर्वतमाला): यदि दो या उससे अधिक ऐसी पहाड़ियां 5०0 मीटर के दायरे में हैं, तो उन्हें एक ही पहाड़ियों का समूह माना जाएगा। दूसरा समिति की रिपोर्ट के अनुसार खनन पर रोक से संबंधित है।

पांचवां निर्देश, जो फैसले के महत्वपूर्ण परिचालन भाग को रेखांकित करता है, एमपीएसएम को अंतिम रूप दिए जाने तक नए खनन पट्टों पर पूर्ण प्रतिबंध है। छठा निर्देश, स्पष्ट रूप से कहता है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (ICFRE) के परामर्श से एमपीएसएम को अंतिम रूप दिए जाने

रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों से संबंधित है। चौथा निर्देश स्पष्टनेबल माइनिंग के लिए प्रबंधन योजना (एमपीएसएम) के बारे में बात करता है। दिलचस्प बात यह है कि सरंढा वन्यजीव अभयारण्य के लिए आदेश दिनांक 13 नवम्बर 2०25 द्वारा एमपीएसएम के निर्देश दिए हैं ।

किसी भी प्रकार की अस्पष्टता से बचने के लिए, एमपीएसएम के दायरे को अदालत द्वारा परिभाषित किया गया है जैसे एमपीएसएम को अरावली परिदृश्य के भीतर खनन के लिए अनुमेय क्षेत्रों, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील, संरक्षण-महत्वपूर्ण और बहाली प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पसचान करनी चाहिए जहां खनन पर सख्ती से प्रतिबंध लगाया जाएगा या केवल असाधारण और वैज्ञानिक रूप से उचित परिस्थितियों में ही अनुमति दी जाएगी। एमपीएसएम में संचयी पर्यावरणीय प्रभावों और क्षेत्र की परिस्थितिक वहन क्षमता का गहन विश्लेषण शामिल होगा और इसमें खनन के बाद बहाली और पुनर्वास के विस्तृत उपाय शामिल होंगे।

पांचवां निर्देश, जो फैसले के महत्वपूर्ण परिचालन भाग को रेखांकित करता है, एमपीएसएम को अंतिम रूप दिए जाने तक नए खनन पट्टों पर पूर्ण प्रतिबंध है। छठा निर्देश, स्पष्ट रूप से कहता है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (ICFRE) के परामर्श से एमपीएसएम को अंतिम रूप दिए जाने

के बाद खनन केवल वहीं अनुमेय होगा जहां स्थिरता मानकों को पूरा किया जाता है। अंतिम निर्देश मौजूदा खनन गतिविधियों से संबंधित है जिन्हें विशेष समिति की रिपोर्ट की सिफारिश के अनुसार अनुमति दी जाएगी।

पर्यावरण कार्यकर्ताओं की चिंता यह है कि अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं की नई परिभाषा से राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर और उत्तरी भारत के प्रभावित इलाकों में जंगल कटाई और रेगिस्तान बढ़ने लगेंगे। सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई कानूनी सवाल नहीं था जिस पर फैसला किया जाए। कोर्ट के पास फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया और कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर दो ऑप्शन थे। कमेटी ने अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं की ऊंचाई तय करने के लिए रिचर्ड मर्फन लैंडफॉर्म क्लासिफिकेशन को अपनाया। जबकि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया (एफएसआइ) की 19 फरवरी 2०1० को सर्वेमािट की गई रिपोर्ट में, अन्य बातों के अलावा, अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं की ऊंचाई तय करने के लिए तीन डिट्री से ज्यादा ढलान को शामिल किया गया है। एमिकस क्यूरी ने एफएसआइ रिपोर्ट का समर्थन किया। जबकि भारत सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने इस आधार पर एफएसआइ रिपोर्ट का विरोध किया कि अरावली पहाड़ियों और श्रृंखलाओं से एक बड़ा क्षेत्र बाहर रखा गया है। दूसरी ओर,

यदि समिति की रिपोर्ट को मंजूरी मिल जाती है, तो अरावली पहाड़ियों और श्रृंखलाओं की परिभाषा में बड़ा क्षेत्र शामिल हो जाएगा।

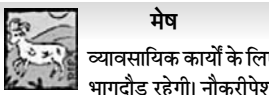
सुप्रीम कोर्ट ने समिति के काम की सराहना की, लेकिन कहा कि एफएसआइ को सारंढा की तर्ज पर किया जाना चाहिए रिट याचिका, एक निरंतर परमादेश होने के कारण, सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियमित निगरानी में है। 2० नवंबर 2०25 का आदेश एक ऐसा आदेश है जिसमें भविष्य में, यदि आवश्यकता पड़ी तो, संशोधन किया जा सकता है। पर्यावरण से संबंधित सभी मुद्दों को पब्लिक ट्रस्ट सिद्धांत के अनुसार निपटया जाता है। सिर्फ एफएसआइ पूरा होने पर ही एफएसआइ पैरामीटर द्वारा किए गए दावों की असलिगत और एक्सपर्ट कमेटी द्वारा सुझाए गए परिभाषा के असर का पता चल सकता है। अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं की ऊंचाई को कौन सी परिभाषा अरावली की रक्षा करेगी, यह सिर्फ डेटा और आँकड़े ही बताएँगे, जिसका आकलन सर्वे और मैपिंग के बाद ही किया जा सकता है। इसके बाद कोई फैसला करेगा और अरावली को न्याय देगा। जो भी हो, एफएसआइ पूरा होने तक खनन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। चल रही बहस ने अवैध माइनिंग को रोकने का काम सौंपे गए एनवैरोमेंटेंट एजेंसियों की नाकामी के मुद्दे को छिपा दिया है।

कानूनी न्यायशास्त्र का मूल सिद्धांत कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि होता हुआ दिखना भी

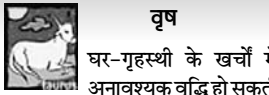
चाहिए, निर्णय में गायब है। अरावली मामले के लिए यह कानूनी दृष्टिकोण हितधारकों में विश्वास पैदा करेगा। साथ ही, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों द्वारा फैसले सुनाए जाने के बाद डिप्पणी करने की बढ़ती प्रवृत्ति के लिए श्रृंखलाओं की ऊंचाई की परिभाषा तय करने का काम एक्सपर्ट कमेटी का है, लेकिन अरावली मामले में की जा रही सख्त अप्रवल की प्रक्रिया ने फैसले को विधायिका की भूमिका में खड़ा कर दिया न्यायिक संयोग को आवश्यकता है जैसे कि अरावली मामले और अयोध्या मामले में देखा गया है। यह एक स्थापित सिद्धांत है कि फैसले के लेखक को फैसला सुनाए जाने के बाद अदृश्य हो जाना चाहिए।

शक्तियों का पृथक्करण और न्यायिक समझौता भाते के संविधान के मूल संरचना सिद्धांत का हिस्सा हैं। हालांकि अरावली पहाड़ियों और पर्वत है। इसलिए, अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं की ऊंचाई की परिभाषा और मापदंडों के खिलाफ विरोध का मतलब है न्यायपालिका संस्था पर ही विश्वास खो देना। आखिर में, जनहित याचिका के फैसले के लिए विस्तृत आदेश का ड्राफ्टिंग जरूरी है। आदेश की बेहतर ड्राफ्टिंग से मौजूदा सामाजिक अशांति, पैदा किया गया प्रायोजित भ्रम और बेबुनियाद आरोपों से बचा जा सकता था।

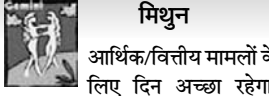
—सूर्य प्रताप सिंह राजावत, अधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर



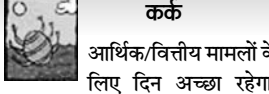
मेष
व्यावसायिक कार्यों के लिए भागदौड़ रहेगी। नौकरपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा।



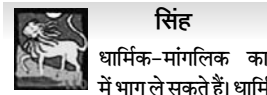
वृष
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। समय मित्रों/रिश्तेदारों के कारण खराब हो सकता है। मन में असंतोष बना रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।



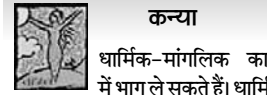
मिथुन
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। नौकरपेशा व्यक्तियों का प्रभाव-प्रभुत्व बढ़ेगा।



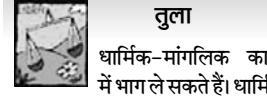
कर्क
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। नौकरपेशा व्यक्तियों का प्रभाव-प्रभुत्व बढ़ेगा।



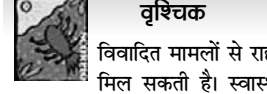
सिंह
धार्मिक-मांगलिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। धार्मिक स्थान की यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।



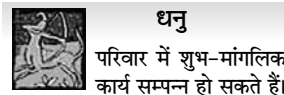
कन्या
धार्मिक-मांगलिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। धार्मिक स्थान की यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।



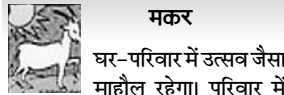
तुला
धार्मिक-मांगलिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। धार्मिक स्थान की यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।



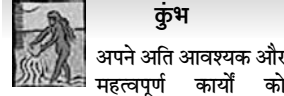
वृश्चिक
विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। अस्त-व्यस्त दिचर्चया में सुधार होगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



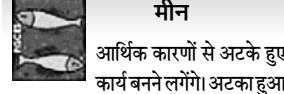
धनु
परिवार में शुभ-मांगलिक कार्यों सम्पन्न हो सकते हैं। आज समय रचनात्मक कार्यों में व्यतीत होगा। महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है।



मकर
घर-परिवार में उत्सव जैसा माहौल बनेगा। परिवार में मनोरंजन के कार्यक्रम बन सकते हैं। पारिवारिक कार्यों से संबंधित यात्रा संभव है।



कुंभ
अपने अति आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। आज प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी।



मीन
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनें लोगों अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।